म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान

(भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त शोध संस्थान)

6, प्रोफेसर रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन – 456010 (म.प्र.)

फोनः 0734–2510978, ईमेलः mpissr@yahoo.co.in http://www.mpissr.org

राष्ट्रीय सेमिनार

भारत में सामाजिक सुरक्षा की नीतियाँ एवं कार्यक्रम: चुनौतियाँ, अवसर एवं सम्भावनाएँ

(Policies and Programmes of Social Security in India: Challenges, Opportunities and Possibilities)

(February 5 & 6, 2020)

सामाजिक सुरक्षा न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके संपूर्ण परिवार को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का निर्माण परिवार के कमाने वाले सदस्य के सेवानिवृत होने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर या किसी अक्षमता का शिकार हो जाने की स्थिति में दीर्घकालीन सहायता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा की मुख्य विशेषता यह है कि यह प्रदाता के रूप में काम करती है– यह बीमा और सहायता के माध्यम से लोगों को उनके भविष्य की योजना बनाने में मदद करती है। भारत में हमेशा से संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही है जो अपने सभी सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रही है जिसके लिए जमीन जैसी भौतिक सम्पदा तक उसकी (संयुक्त परिवार की) पहुंच होती है या उस पर उसका स्वामित्व होता है। अपनी सांस्कृतिक परम्परा को बनाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति साझी जिम्मेदारी की भावना से भरे होते हैं। जिस सीमा तक परिवार के पास संसाधन की उपलब्धता रहती है उस सीमा तक परिवार के बुजुर्गों और बीमारों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यद्यपि, बढ़ते हुए उत्प्रवास, शहरीकरण और जनांकिकीय परिवर्तनों के कारण बड़े आकार वाले संयुक्त परिवारों की संख्या में कमी आती गई। यहीं से सामाजिक सुरक्षा की औपचारिक व्यवस्था महत्वपूर्ण प्रतीत होने लगी है। बहरहाल, सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तृत करने में सूचना और जागरुकता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में सामाजिक सुरक्षा लाभ आवश्यकता–आधारित है, यानि सामाजिक सहायता के घटक सार्वजनिक रूप से प्रबंधित योजनाओं में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय संदर्भ में, सामाजिक सुरक्षा एक समग्र अधिगम है जिसका निर्माण व्यक्ति को आर्थिक अभाव से बचाने और व्यक्ति के स्वयं के लिए तथा उसके आश्रितों के लिए, आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति से बचाने हेतु एक न्यूनतम आय की सुनिश्चितता के लिए किया गया है। सामाजिक सुरक्षा को निरंतर विकास प्रक्रिया के एक अंग के रूप में देखा जाता है। वैश्वीकरण और उसके कारण होने वाले संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तनों से ऊपजी चुनौतियों से निपटने के लिए यह अधिक सकारात्मक रवैये के निर्माण में सहायता करती है।

सामाजिक सुरक्षा वह है जो राज्य, उचित संगठनों के माध्यम से अपने नागरिकों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है। यह जोखिम बीमारी, मातृत्व, दिव्यांगता, वृद्धावस्था तथा मृत्यु हैं। सामाजिक सुरक्षा रणनीतियों एवं कार्यक्रमों की मुख्य विशेषता होती है कि व्यक्ति को अपना तथा अपने परिवार का भरण–पोषण करने के लिए इन कार्यक्रमों के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाये। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं व्यक्ति को संकट के समय अथवा उस समय, जब उसकी कमाई कम हो जाये, तथा जन्म, मृत्यु या अन्य जोखिमों में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए लाभान्वित करती है। सामाजिक सुरक्षा नीतियों एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनिवार्य सामाजिक बीमा, ऐच्छिक सामाजिक बीमा के कुछ प्रारूप, सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं जैसे बोनस, भविष्य निधि (प्रोविडेण्ट फण्ड) का भुगतान, पारिवारिक सहायता, सामाजिक सहायता, जन–स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि सम्मिलित होते हैं।

आधुनिक समय में सामाजिक सहायता तथा सामाजिक बीमा का मिश्रण जिसमें विभिन्न जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है जिसे सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है। सर्वव्यापी योजना का होना तथा पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान होना, ये दोनों बातें इस कार्यक्रम की विशेषता हैं जिससे सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति नागरिक आत्मीयता अनुभव करे तथा कठिनाई के क्षणों में इस पर आश्रित रह सके।

भारत में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम वर्ष 1995 से प्रारम्भ किया गया था। कार्यक्रम के द्वारा गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति पेश की गई और इसका उद्देश्य उन लाभों के अतिरिक्त सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना था। इस कार्यक्रम के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना और अन्नपूर्णा योजना सम्मिलित थी। यह सभी योजनाएँ वर्तमान में

भी जारी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की इन योजनाओं के अतिरिक्त प्रकारान्तर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) सहित मातृत्व लाभ और खाद्य सुरक्षा संबंधित योजनाओं एवं नीतियों को भी प्रारम्भ किया गया।

वर्तमान एनडीए सरकार ने देश में सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तारित करते हुए कई नयी योजनाएँ प्रारम्भ की। ये योजनाएं आबादी के बड़े हिस्से को ध्यान में रखकर प्रारम्भ की गई हैं। मई 2015 को शुरू की गई तीन योजनाएं इसी श्रेणी में आती हैं। इनमें दो बीमा योजनाएं हैं, जिनके नाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। एक पेंशन योजना है जिसका नाम अटल पेंशन योजना है। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना भी प्रारम्भ भी की गई है।

इसी पृष्ठभूमि में विषय की महत्ता एवं प्रासंगिकता के दृष्टिगत म. प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन भारत में ***सामाजिक सुरक्षा की नीतियाँ एवं कार्यक्रमः चुनौतियाँ, अवसर एवं सम्भावनाएँ*** विषय पर दो दिवसीय सेमिनार विषय पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन दिनांक **5 एवं 6 फरवरी, 2020** को किया जा रहा है।

सेमिनार के प्रस्तावित उपशीर्षक इस प्रकार हैं –

- **सामाजिक सुरक्षा का वैचारिक आधार**
  (Ideological Basis of Social Security)
- **सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समावेश और समावेशी विकास**
  (Social Security, Social Inclusion and Inclusive Development)
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्यान्न सुरक्षा**
  (Public Distribution System and Food Security)
- **सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक स्वतंत्रता**
  (Social Security and Economic Freedom)
- **भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन**
  (Evaluation of Social Security Programmes in India)
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना**
  (Prime Minister Jeevan Jyoti Beema Yojana, Prime Minister Suraksha Beema Yojana, Ayushman Bharat, Atal Pension Yojana)
- **वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम**
  (Indira Gandhi Old Age Pension, Indira Gandhi Widow Pension, Indira Gandhi Disabled Pension and National Family Assistance Programme)
- **सामाजिक सुरक्षा के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव**
  (Social, Economic and Political Impacts of Social Security)
- **सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में राज्यों की भूमिका**
  (Role of States in Social Security Administration)
- **सामाजिक सुरक्षा का कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे भोजन, आवास, विकलांगता, वृद्धावस्था, बेरोजगारी एवं चिकित्सा देखभाल आदि के क्षेत्र में स्थिति**
  (Status in Some Special Areas of Social Security like Food, Housing, Disability, Old age, Unemployment and Medical Care etc)

इस सेमिनार हेतु उक्तांकित विषयवस्तु एवं मुद्दों पर शोध पत्र आमंत्रित हैं। चयनित शोध पत्रों के लेखकों को सेमिनार भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। सेमिनार में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा तथा आवास एवं अन्य व्यवस्थाएँ भी संस्थान द्वारा की जायेगी।

सम्पूर्ण शोध पत्र (3500–5000 शब्दों में) संक्षेपिका सहित भेजने की अंतिम तिथि : 22 जनवरी, 2020

(शोधपत्र एवं संक्षेपिका निर्धारित तिथि के पूर्व ई–मेल mailboxmpissr@gmail.com पर प्रेषित करे)

डॉ. आशीष भट्ट
सेमिनार समन्वयक
09424511516
(drabhatt@yahoo.com

प्रोफेसर यतीन्द्रसिंह सिसोदिया
निदेशक